कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2139 /11–सी–FP/UP/Others/40442/2019, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 24 ,2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः– जनपद–जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–25 (उरई–ऐट मार्ग) के किमी0 250.00 से किमी0 178.00 एवं एम0डी0आर0 संख्या–27बी (कोंच–नदीगॉव मार्ग) के किमी0 0.00 से किमी0 21.00 तक कुल लम्बाई 93.00 किमी0 एवं 0.9802 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1508/11–सी–FP/UP/Others/40442/2019, दिनांक 28.12.2020 एवं आपका पत्रांक 2368/33 1, दिनांक 16.02.2021

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में संलग्न किये गये इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु वन संरक्षक द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. हार्डकापी भाग–2 में आगरा वन प्रभाग में पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 20 किमी0 में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जा चुका है। अतः हार्डकापी भाग–2 में तदानुसार संशोधित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पुराना हार्डकापी भाग–2 डिलिट करें।
3. प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i), (ii), (iii),(iv) एवं (v) में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित सभी डाटा एवं के0एम0एल0 फाइल आदि डिलिट करें।
4. Additional Information Detail में अपलोड किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि अंकित नहीं है। अतः तिथि सहित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2139 /11–सी–FP/UP/Others/40442/2019, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, उरई।
2. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-252